Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 20–2018] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 15 मई, 2018
(25 वैशाख, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 29/के०अ०21/2000/धा०6 तथा 6क/2018, दिनांक 8 मई, 2018 – हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी (इलैक्ट्रोनिक्स सेवा प्रदाय) नियम, 2018.	449—460
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग–III

हरियाणा सरकार

इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 मई, 2018

संख्या का०आ० 29/के०अ०21/2000/धा०6 तथा 6क/2018.– सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21) की धारा 6 तथा 6क के साथ पठित धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी (इलैक्ट्रोनिक्स सेवा प्रदाय) नियम, 2018 कहे जा सकते है ।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, –

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21);

(ख) "प्राधिकृत अभिकर्ता" से अभिप्राय है, सेवा प्रदात्ता का कोई अभिकर्ता तथा इसमें इलैक्ट्रोनिक्स रूप से कीयोस्क योग्य आपरेटर भी शामिल है जिसे इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कम्प्यूटर संसाधन या किसी संसूचना यन्त्र की सहायता से उपयोगकर्ताओं को लोक सेवाएं प्रदाय करने के लिये इन नियमों के अधीन अनुज्ञात किया गया है;

(ग) "प्राधिकृत सेवा प्रदाता" से अभिप्राय है, कोई अभिकरण, इसमें निगमित निकाय या सरकारी अभिकरण भी शामिल है जिसे इन नियमों के अनुसार इलैक्ट्रोनिक रूप से सेवाओं को प्रदाय करने हेतु किसी प्रणाली की स्थापना तथा प्रबन्धन करने के लिये निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा प्रदाय द्वारा प्राधिकृत किया गया है;

(घ) "निगमित निकाय" से अभिप्राय है, कोई कंपनी तथा इसमें वाणिज्यिक या व्यावसायिक क्रिया कलापों में नियोजित कोई फर्म, एकल स्वामित्व या अन्य वैयक्तिक संस्था भी शामिल है;

(ड़) "प्रमाण पत्र" से अभिप्राय है, किसी ऐसे अधिनियम, नियम, विनियम या सरकार के आदेश के अनुसार किसी व्यक्ति को या तो प्रकृत या कृत्रिम, किसी हैसियत, अधिकार या उत्तरदायित्व की पुष्टि करने के लिये किसी प्रमाण पत्र के आश्वासन के लिए राज्य में किसी अधिनियम, नियम, विनियम या आदेश के अधीन सशक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने के लिए अपेक्षित कोई प्रमाण–पत्र और इसमें ऐसी सामग्री इलैक्ट्रोनिक रूप में प्रीटिड तथा इलैक्ट्रोनिक्स हस्ताक्षर सहित प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई प्रमाण–पत्र, जो निदेशक, इलैक्ट्रोनिक सेवा प्रदाता द्वारा अवधारित किया जाए, भी शामिल है ;

(च) "सक्षम अधिकारी" से अभिप्राय है, राज्य सरकार के सभी सचिव, प्रत्येक विभागाध्यक्ष और सरकारी संगठनों तथा सरकारी निकायों और ऐसे अन्य प्रधिकरणों के मुखिया जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किए जाएं ;

(छ) "निदेशक, इलैक्ट्रोनिक्स सेवा प्रदाय" से अभिप्राय है, निदेशक, इलैक्ट्रोनिक्स सेवा प्रदाय के रूप में अधिसूचित सरकार का कोई अधिकारी;

(ज) "ई–सेवा" से अभिप्राय है, कोई सेवा जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तथा उपयोगकर्ताओं को इलैक्ट्रोनिक्स रूप में प्रदान की जाए;

(झ) "इलैक्ट्रोनिक सेवा प्रदाय" से अभिप्राय है, इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इलैक्ट्रोनिक साधनों द्वारा फार्मों तथा आवेदनों की प्राप्ति, किसी अनुज्ञप्ति, परमिट, प्रमाण पत्र, स्वीकृति या अनुमोदन के प्रदाय और धनराशि की प्राप्ति तथा भुगतान के रूप में लोक सेवाओं का प्रदाय या दी गई कोई अन्य ऐसी लोक सेवा;

(ञ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(ट) "लोक सेवा" से अभिप्राय है, सरकार द्वारा या तो इसके प्राधिकृत प्राधिकारियों या इसके किन्ही अभिकरणों के माध्यम से या तो प्रत्यक्ष रूप से या किसी प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई कोई सेवा;

(ठ) "सेवा प्रभार" से अभिप्राय है, सेवाओं की इलैक्ट्रोनिक्स प्रदाय के लिये प्राधिकृत सेवा प्रदाता को भुगतान की जाने वाली राशि, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तथा इसमें आवेदन करते समय सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा भुगतानयोग्य सेवा के संबंध में सम्यक् रूप से प्राधिकृत कर, प्रभार, बकाया या कोई अन्य धनराशि शामिल नहीं होगी जो राज्य में लागू किसी अधिनियम, नियम, विनियम या आदेश के अधीन अन्यथा से भुगतानयोग्य है;

(ड) "हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी" से अभिप्राय है, किसी अनुज्ञप्ति, परमिट, प्रमाण पत्र, स्वीकृति या अनुमोदन को जारी करने के लिए सरकार द्वारा अपने–अपने अधिनियमों, नियमों, विनियमों या आदेश के अधीन सशक्त कोई प्राधिकारी;

(ढ) "राज्य इलेक्ट्रोनिक्स रिकार्ड भण्डार" से अभिप्राय है, ऐसे रिकार्ड तक पहुँच तथा नागरिकों को उन्हें प्रदान करने के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुरक्षित सभी इलैक्ट्रोनिक्स भण्डार ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः अधिनियम में दिए गए हैं।

इलैक्ट्रोनिक्स सेवा प्रदाय प्रणाली ।

3. (1) सरकार या तो स्वयं या इसके द्वारा प्राधिकृत अभिकरण के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक्स रूप से कीयोस्क या किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक्स सेवा प्रदाय मैकनिजम के माध्यम से लोक सेवाओं की प्रदाय कर सकती है तथा आगे इलैक्ट्रानिक्स सेवा प्रदाय का प्ररूप तथा रीति विनिर्दिष्ट करेगी ।

(2) सरकार, जब से इलैक्ट्रोनिक्स रूप से हस्ताक्षर करे, गोपनीय रूप से अपेक्षित अतिसंवेदनशील इलेक्ट्रोनिक्स रिकार्ड के कोडीकरण की रीति अवधारित करेगी ।

(3) सरकार इलैक्ट्रोनिक्स सेवा प्रदाय के लिये सेवा प्रदाताओं तथा इसके अभिकर्ताओं को अधिसूचित करेगी ।

(4) सरकार, वित्तीय संहिता तथा खजाना संहिता की अनुपालना में प्रभावित भुगतान की समझी गई रसीद के लिये इलैक्ट्रोनिक्स सेवा प्रदाय को अपनाते हुए किए गए भुगतानों की रसीद अनुज्ञात कर सकती है ।

(5) सरकार, ऐसी सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से ऐसी सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रयोजन के लिए समुचित ऐसे सेवा प्रभारों, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, का संग्रहण करने तथा बनाए रखने के लिये सेवा प्रदाताओं या इसके प्राधिकृत अभिकर्ताओं को प्राधिकृत करेगी :

परन्तु विभाजित सेवा प्रभारों को सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली रसीद में स्पष्ट रूप में दर्शाया जाएगा ।

(6) सरकार सेवा प्रभारों का स्केल अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी, जो विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिये सेवा प्रदाताओं तथा इसके प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा प्रभारित तथा संगृहीत किए जाने हैं।

(7) सरकार सेवा प्रदाता तथा प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा सेवा स्तरों के लिये अनुपालित किए जाने वाले मानकों को भी अवधारित करेगी ।

इलैक्ट्रोनिक्स सेवा प्रदाय अधिसूचना ।

4. (1) सरकार सेवाएं अधिसूचित करेगी जो समय–समय पर इलैक्ट्रोनिक रूप से प्रदाय की जाएगी।

(2) सरकार अनुज्ञप्तियों, परमिटों, प्रमाण –पत्रों, स्वीकृतियों, भुगतान प्राप्ति अनुमोदनों की भिन्न–भिन्न श्रेणियों तथा उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के संबंध में हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारियों की सूची समय–समय पर, पहचान कर सकती है तथा अधिसूचित करेगी । अधिूसचना में सरकार द्वारा यथा अनुमोदित प्रमाण –पत्र की किस्म, हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारियों के नाम, प्राधिकारी की प्रभावकारिता की अवधि तथा उसकी अधिकारिता की सीमा विनिर्दिष्ट करेगी ।

(3) सरकार हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारियों का पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तों पर विचार करते हुए, समय–समय पर, हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारियों की सूची में होने वाले परिवर्तनों को अधिसूचित करेगी ।

5. (1) प्रत्येक सक्षम प्राधिकारी इन नियमों के लागू होने से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर निम्नलिखित अधिसूचित करेगा :– सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्य ।

(क) विभाग, अभिकरण या निकाय की लोक सेवाएं, जो इलैक्ट्रोनिक ढंग से प्रदाय की जा सकती है;

(ख) तिथि, जिसके द्वारा प्रत्येक ऐसी सेवा इलैक्ट्रोनिक ढंग से उपलब्ध करवाई जाएगी ;

(ग) सेवा स्तरों के रूप में दक्षता, विशेषता तथा यथार्थता के लिये अधिकथित मानक;

(घ) इलैक्ट्रोनिक ढंग से प्रत्येक ऐसी सेवा प्रदाय करने के लिये पदाभिहित अधिकारी ।

टिप्पण : एक सौ अस्सी दिन का आदेश ऑनलाईन ढंग में सेवाओं की प्रदाय के संबंध में विभागों के लिये ऊपरी सीमा होगी, जो केवल ऐसे मामले में विस्तारित की जा सकती है, जहाँ तक पूर्ण कारण हों ।

(2) सक्षम प्राधिकारी, इसके बाद, प्रत्येक वर्ष या यथा अक्सर यथा अपेक्षित प्रकाशनों का पुनर्विलोकन तथा अद्यतन करेगा।

6. (1) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी सेवा की किस्म, हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारियों के नाम, प्राधिकारी की कालावधि और प्रत्येक ऐसे प्राधिकारियों की अधिकारिता की सीमा पूर्ववत् सम्यक् रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए भिन्न –भिन्न लोक सेवाओं तथा उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के संबध में हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारियों की सूची अधिसूचित करेगा । अधिसूचना हस्ताक्षरित करने वाले प्राधिकारी।

(2) सक्षम प्राधिकारी, हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारियों का पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, स्थानान्तरण, निलम्बन तथा सेवा की समाप्ति के संबंध में तुरन्त निदेशक, इलैक्ट्रोनिक्स सेवा प्रदाय को सूचित करेगा ।

(3) हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी भी अपनी सेवानिवृत्ति, स्थानान्तरण, निलम्बन तथा सेवा की समाप्ति के संबध में तुरन्त अपने सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी उनके अपने–अपने एप्लिकेशन साफ्टवेयर में परिवर्तन करवाएंगे।

7. निदेशक, इलैक्टोनिक सेवा प्रदाय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:– निदेशक, इलैक्ट्रोनिक सेवा प्रदाय की शक्तियाँ तथा कृत्य।

(क) प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं को सेवाएं प्राधिकृत करने निलम्बित करने या समाप्त करने;

(ख) प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ताओं के चयन के संबध में मानक निर्धारित करने;

(ग) प्राधिकृत सेवा प्रदातओं तथा प्राधिकृत अभिकर्ताओं के कृत्य, उत्तरदायित्व तथा दायित्वों को निर्धारित करने ;

(घ) प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं तथा प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा अनुपालित किए जाने वाले सेवा स्तरों के मानक निर्धारित करने;

(ङ) ई– सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिये प्राधिकृत सेवा प्रदातओं तथा प्राधिकृत अभिकर्ताओं के सेवा प्रभार निर्धारित करने;

(च) फीसों, करों, प्रभारों, बकायों इत्यादि के संबध में प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा संगृहीत किए जाने वाले सेवा प्रभारों को निर्धारित करते हुए विभाग / सक्षम प्राधिकारी को गाइड करने ताकि सभी विभागों में एकरूपता बनाई जा सके;

(छ) प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं तथा प्राधिकृत अभिकर्ताओं की सेवाओं के प्राधिकार, निलम्बन या समाप्ति के संबंध में निबन्धन तथा शर्ते निर्धारित करने;

(ज) प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं तथा प्राधिकरण अभिकर्ताओं की सेवाओं के ऐसे निलम्बन या समाप्ति की दशा में, ई–सेवा की प्रदाय के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करने ।

(झ) सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकृत सेवा प्रदाता के लिये फीस की रीति तथा ढंग अवधारित करने ।

प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ताओं की नियुक्ति ।

8. (1) प्राधिकृत सेवा प्रदाता ऐसी संख्या में प्राधिकृत अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकथित दक्षता, विशेषता तथा यथार्थता के मानकों को पूरा करता हो जो इलैक्ट्रोनिक रूप से सेवाओं के प्रदाय के लिये अपेक्षित हों ।

(2) प्राधिकृत सेवा अभिकर्ता इलैक्ट्रोनिक सेवाओं का विस्तार करने के लिये सेवा पोर्टलों में सुरक्षित रूप से लॉगिन करेंगे। इन अभिकर्ताओं को इलैक्ट्रोनिक सेवाओं का प्रदाय करने के अनुक्रम में ई–हस्ताक्षर /डिजिटल हस्ताक्षरों (डी.एस.सी.) का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा ।

(3) प्राधिकृत सेवा प्रदाता इलैक्ट्रोनिक सेवाओं की दक्षता रूप से तथा त्रुटि मुक्त रीति में प्रदाय करने के लिये प्राधिकृत अभिकर्ताओं के लिये समुचित प्रशिक्षण भी चला सकता है ।

प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा परिचालनों का प्रारम्भ।

9. प्राधिकृत सेवा प्रदाता केवल निम्नलिखित के बाद इलैक्ट्रोनिक सेवा प्रदाय के लिये अपने वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ करेगा :–

(क) वह इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया तथा मानकों को अपनाने के संबंध में निदेशक, इलैक्ट्रोनिक सेवा प्रदाय को डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित मे या ई–मेल के माध्यम से पुष्टि करेगा ; तथा

(ख) वह निदेशक, इलेक्ट्रोनिक सेवा प्रदाय द्वारा अधिकथित मानकों के अनुसार इलेक्ट्रोनिक्स प्रदाय के लिये आवश्यक सुविधाएं तथा अवसंरचना स्थापित करेगा और निदेशक इलैक्ट्रोनिक सेवा प्रदाय का डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित में या ई–मेल के माध्यम से उसकी पुष्टि करेगा ।

सेवा प्रभार संग्रहण करना।

10. (1) किसी प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता को किसी उपयोगकर्ता द्वारा ई–सेवा के लिये प्रस्तुत किए गए आवदेन के साथ ऐसे सेवा प्रभार लगाया जाएगा, जो निदेशक, इलैक्ट्रोनिक सेवा प्रदाय द्वारा निर्धारित किया जाए, जो आवेदन करते समय प्राधिकृत सेवा प्रदाता को नकद में या किसी अन्य रीति, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, में भुगतानयोग्य है ।

(2) निदेशक, इलैक्ट्रोनिक सेवा प्रदाय अधिसूचना द्वारा ई–सेवाओं के सेवा प्रभार अवधारित करेगा ।

(3) सेवा प्रभार भिन्न –भिन्न ई–सेवाओं के लिये भिन्न –भिन्न हो सकते हैं, जैसे कि:–

(क) स्थिति की पूछताछ ;

(ख) ई–सेवाओं से संबधित प्रिट लेना;

(ग) ई–सेवाओं से संबधित दस्तावेजो की स्केनिंग;

(घ) प्राप्ति की पावती ; तथा

(ड़) कोई अन्य ई–सेवा ।

(4) सेवा प्रभारों में जब सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी का आवदेन करते समय, सक्षम प्राधिकारी को या सरकार के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा भुगतानयोग्य सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई कर, प्रभार, बकाया या बकाया कोई अन्य धनराशि शामिल नहीं होगी।

फीस।

11. (1) सम्बद्ध, सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा भुगतानयोग्य सेवाओं के संबंध में कोई फीस या सम्यक् रूप से प्राधिकृत कर, प्रभार, बकाया या किसी अन्य रूप में बकाया धनराशि जब सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी का आवदेन करते समय सम्बन्धित अधिनियम, नियम, विनियम या सरकार के आदेश के अधीन अन्यथा से भुगतानयोग्य हों, तो प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा संगृहीत किए जाएंगे उन भुगतानों को छोड़कर जो सामान्यतयाः न्यायालय फीस स्टाम्प या खजाना चालानों के रूप में किए जाने अपेक्षित हों या किसी अधिनियम, नियम, या विनियम द्वारा अन्यथा से उपबन्धित किए गए हों ।

(2) सम्बद्ध विभाग या सम्बद्ध प्राधिकारी सभी विभागों में एकरूपता बनाए रखने के अनुक्रम में फीसों, करों, प्रभारों बकायों इत्यादि के संदर्भ में प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा संगृहीत किए जाने वाले सेवा प्रभारों को निर्धारित करने के लिये निदेशक, इलैक्ट्रोनिक सेवा प्रदाय से परामर्श करेगा ।

(3) प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा संगृहीत की जाने वाले फीस सरकारी खजाने में जमा करवाई जायेगी ।

प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्रभार तथा फीस का प्रेषण।

12. (1) ई–सेवा के लिये प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा संगृहीत किये गए सेवा प्रभारों में से सेवा प्रभारों की कोई प्रतिशतता, जो निदेशक, इलैक्ट्रोनिक सेवा प्रदाय द्वारा, समय–समय पर, अवधारित की जाए, में सरकार से विभाजित की जायेगी ।

(2) इस प्रकार संगृहीत किए गए सेवा प्रभार में सरकार का हिस्सा सरकारी खजाना में प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा प्रेषित किया जाएगा।

13. (1) जहाँ कोई व्यक्ति सुसंगत प्ररूप या रीति, जो निदेशक, इलैक्ट्रोनिक सेवा प्रदाय द्वारा अवधारित की जाए और प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जाए, में भुगतान के प्रिन्ट आउट या इलैक्ट्रोनिक तुरन्त तैयार अभिस्वीकृति को किसी अधिसूचित ई–सेवा के संबध में किसी प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता को सेवा प्रभार का भुगतान करता है, भुगतान तो समान्य रूप से ऐसे भुगतान के सबूत के रूप में प्राप्त करेगा और यह विवादों या दावों की सामान्य परिस्थितियों में, जिसके लिए अभिस्वीकृति उचित रूप से जारी की गई है, उस सीमा तक चुकाई गई समझी जाएगी । प्राधिकृत सेवा प्रदाता को भुगतान किए जाने वाले सेवा प्रभारों के संबंध में उपधारणा तथा ई–सेवाएं प्राप्त करने की अन्य शर्तें ।

(2) प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता को किए गए सेवा प्रभार का भुगतान का अर्थ अधिसूचित ई–सेवाएं प्राप्त करने के संबध में किसी सम्बद्ध व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार या हक, स्थाई या अस्थाई रूप से सृजित नहीं करेगा ।

(3) मात्र सेवा प्रभार का भुगतान सेवाओं की प्रदाय को आवश्यक रूप से सुनिश्चित नहीं करेगा, यदि प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता को भुगतान करते समय सेवा की प्रदाय से सहयुक्त सभी शर्तो को पूरा नहीं किया गया है ।

14. (1) सक्षम प्राधिकारी, यथा शीघ्र, इन नियमों के प्रभावी होने के बाद, प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता की ऐसी अनुज्ञप्तियों, परमिटों, प्रमाण–पत्रों, स्वीकृतियों या अनुमोदनों, जैसी भी स्थिति हो, तक पहुँच बनाने तथा उन्हें उपयोगकर्ता को प्रदाय करने के लिये समर्थ बनाने के लिये सहयुक्त आवदेन साफ्टवेयर और कार्यप्रवाह के साथ–साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड का भण्डार तथा डाटाबेस का सृजन, स्थापित कर सकता है और रख–रखाव कर सकता है । डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड के भण्डार का सृजन करना।

(2) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उनके अपने–अपने नियन्त्रण के अधीन डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड के इलैक्ट्रोनिक डाटा, सूचना आवदेनों, भण्डार के संबंध में सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सुसंगत सुरक्षा प्रक्रिया की अनुपालना की जायेगी ।

15. (1) कोई भी सक्षम प्राधिकारी या हस्ताक्षर करने वाला कोई भी प्राधिकारी या तो स्वप्ररेणा से या हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, सम्बन्धित अधिनियम, नियम, विनियम, या आदेश में विहित प्रक्रिया की अनुपालना करने के बाद डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड के किसी भण्डार में समुचित परिवर्तन कर सकता है या करवाने के आदेश कर सकता है । डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित रिकार्ड के भण्डार में परिवर्तन करने के लिये प्रक्रिया।

(2) ऐसे किसी प्राधिकारी को केवल इसकी अपनी अधिकारिता से संबंधित इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड के संबंध में परिवर्तनों को करने या करवाने के आदेश करने का विशेषाधिकार होगा ।

(3) डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड के भण्डार में किसी रिकार्ड में प्रभावित कोई परिवर्तन, तथा ऐसे इलेक्ट्रौनिक रिकार्ड के भण्डार से किसी रिकार्ड के किसी परिवर्धन या विलोपन सदैव संबंधित प्राधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा और ऐसे सभी परिवर्तनों को इलैक्ट्रोनिक परिक्षण के लिए बनाए रखा जाएगा ।

16. (1) सक्षम प्राधिकारी समुचित आवदेन सॉफ्टवेयर का सृजन करवाएगा जो हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारियों द्वारा डिजिटल रूप से अनुज्ञप्ति, परमिट, प्रमाण–पत्र, स्वीकृति या अनुमोदनों पर हस्ताक्षर करने के लिये उपयोग किया जाएगा और उसका किसी तृतीय पक्षकार अभिकरण से परीक्षित करवाएगा, ताकि उसका परिनियोजन करने से पूर्व उसकी सुरक्षा, विश्वसनीयता, निष्पादनता तथा सामंजस्यता सुनिश्चित की जा सके । इलैक्ट्रोनिक सेवा प्रदाय के लिये सुरक्षित आवेदन साफ्टवेयर का सृजन करना।

(2) प्रत्येक ऐसा आवेदन साफ्टवेयर में अन्य बातों के साथ प्रत्येक अनुज्ञप्ति, परमिट, प्रमाण–पत्र, स्वीकृति या अनुमोदन को एकमात्र पहचान की प्रक्रिया होगी ।

(3) प्रत्येक प्राधिकृत सेवा प्रदाता संबन्धित प्राधिकारियों के ऐसे परामर्श से इसका अपना आवेदन साफ्टवेयर सृजित करेगा ओर ऐसा प्राधिकृत सेवा प्रदाता इन नियमों के अनुसार इलैक्ट्रोनिक सेवाओं की प्रदाय करने में समर्थ होगा ।

(4) सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा सृजित प्रत्येक ऐसे आवेदन साफ्टवेयर में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित विशेषताएं तथा सक्षमताएं होंगी; अर्थात्:–

(क) अधिकृत अभिकर्ताओं को लॉगइन को सुरक्षित करने, जो डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्रों के उपयोग के माध्यम से आवेदन प्रणाली तक पहुँच बनाने के लिये अपेक्षित है ;

(ख) डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अनुज्ञप्ति की प्रिटिंग तथा प्रदाय के लिये सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञप्ति डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड भण्डारों तक प्राधिकृत अभिकर्ताओं की पहुँच सुरक्षित करने; तथा

(ग) नागरिकों को इलैक्ट्रोनिक सेवाएं उपलब्ध करवाते समय किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा जारी किए गए वाऊचर तथा रसीद की एकमात्र पहचान आबंटित करने ।

(5) निदेशक, इलैक्ट्रोनिक सेवा प्रदाय ऐसे आवदेन साफ्टवेयर को किसी तृतीय पक्षकार से परीक्षित करवाएगा, जिसे प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा परिनियोजन करने से पूर्व इसकी सुरक्षा विश्वसनीयता, निष्पादनता तथा सामंजस्यता तथा जब कभी आवेदन साफ्टवेयर में किए गए परिवर्तनों को सुनिश्चित किया जा सके ।

ई–सेवाओं की प्रदाय।

17. (1) किसी अनुज्ञप्ति, परमिट, प्रमाण–पत्र, स्वीकृति या अनुमोदन जारी करने तथा धनराशि की प्राप्ति या भुगतान से संबंन्धित किसी सेवा के उपबन्ध के लिये किसी उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोध करने पर, किसी प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता की किसी भुगतान या प्राप्ति के संबंध में किसी अनुज्ञप्ति, परमिट, प्रमाण–पत्र, स्वीकृति या अनुमोदन या डाटाबेस के संबंध में नियम 19 में विनिर्दिष्ट अपने सुरक्षित आवेदन के माध्यम से सम्बन्धित विभाग के डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड के भण्डार तक पहुँच होगी ।

(2) प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता को केवल इसके डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र के उपयोग के लिये ऐसी पहुँच के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(3) प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता सेवा प्रभार सहित विनिर्दिष्ट फीसों, कर शुल्क या भुगतान स्वीकार करेंगे, किसी भुगतान या प्राप्ति के संबंध में अनुज्ञप्ति, परमिट, प्रमाण–पत्र, स्वीकृति या अनुमोदन या डाटाबेस के सम्बन्धित रिकार्ड डाउनलोड करेगा, डिजिटल हस्ताक्षरित इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड के भण्डार से अनुज्ञप्ति, परमिट, प्रमाण–पत्र, स्वीकृति या अनुमोदन, या सम्बन्धित डाटाबेस से भुगतान बाऊचर या रसीद प्रिन्ट करेगा और सुरक्षित आवेदन सॉफ्टवेयर तथा सुरक्षित सामग्री का उपयोग करते हुए दस्तावेज प्रिंट करेगा।

डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेजों का सत्यापन।

18. (1) सक्षम प्राधिकारी किसी प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता या राज्य इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड भण्डार द्वारा प्रदाय की जाने वाली कोई अनुज्ञप्ति, परमिट,प्रमाण–पत्र, स्वीकृति या अनुमोदन या रसीद का सत्यापन ऑनलाइन प्रणाली (पोर्टल/बैबसाईट) सृजित करवाएंगी ।

(2) इन नियमों के अधीन जारी किसी दस्तावेज या प्रमाण–पत्र की प्रमाणिकता को सत्यापित करने के इच्छुक किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को स्त्यापित किए जाने वाले दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए एकमात्र पहचान का उपयोग करते हुए ऐसे पोर्टल या बैबसाईट तक पहुँच होगी ।

प्राधिकृत सेवा प्रदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता की सूचना प्रणाली तथा लेखों की लेखा परीक्षा।

19. (1) निदेशक, इलैक्ट्रोनिक सेवा प्रदाय, सूचना सुरक्षा की लेखा–परीक्षा करने वाले संगठन के रूप में सूचीबद्ध अभिकरण से ऐसे अन्तरालों, जैसा आवश्यक समझे, पर राज्य में प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं तथा उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं के रिकार्डों तथा लेखों की लेखा–परीक्षा करवाएगा ।

(2) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा में प्रतिपूर्ति, सेवाओं के इलैक्ट्रोनिक प्रदाय में उपयोग किए जाने वाले किसी आवेदन, साफ्टवेयर की सूचना की गोपनीयता तथा एकान्नता, अभिलाक्षणिता तथा अनुपालन और प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं और उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा बनाए रखे गए लेखों के सही होने के पहलू हो सकते हैं ।

(3) प्राधिकृत सेवा प्रदाता तथा उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं के पदधारी निदेशक, इलैक्ट्रोनिक्स सेवा प्रदाय द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक अभिकरण को ऐसी सूचना उपलब्ध करवाएंगे तथा उनकी सहायता करगें और लेखा परीक्षक अभिकरणों द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना करेंगे और लेखा परीक्षक अभिकरणों द्वारा बताई गई कमियों तथा त्रुटियों को ठीक करेंगे ।

देवेन्द्र सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

Notification

The 8th May, 2018

No. S.O. 29/C.A.21/2000/Ss. 6 And 6A/2018 .— In exercise of the powers conferred under section 90, read with sections 6 and 6A of the Information Technology Act, 2000, (Central Act 21 of 2000) the Government of Haryana hereby makes the following rules, namely:-

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Information Technology (Electronic Service Delivery) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Act**" means the Information Technology Act, 2000 (Central Act 21 of 2000);

(b) **"authorised agent**" means an agent of the service provider and includes an operator of an electronically enabled kiosk permitted under these rules to deliver public services to the users with the help of a computer resource or any communication device, by following the procedure specified in these rules;

(c) "**authorized service provider**" means an agency including a body corporate or an agency of the Government, authorized by the Director of Electronic Service Delivery, to establish and manage a system of delivering services electronically, in accordance with these rules;

(d) "**body corporate**" means any company and includes a firm, sole proprietorship or other association of individuals engaged in commercial or professional activities;

(e) **"certificate"** means a certificate required to be issued by an authority empowered under any Act, rule, regulation or order in the State for assurance of a certificate to confirm the status, right or responsibility of a person, either natural or artificial, in accordance with any such Act, rule, regulation or order of the government and includes a certificate in electronic form printed and delivered by an authorized service provider with electronic signature on such stationary, as may be determined by the Director of Electronic Service Delivery;

(f) **"competent authority"** means the Secretary to Government, Haryana the Head of every department of the Government and the heads of the Government Organizations and Government Bodies and such other authority as may be notified by the Government from time to time, by notification in the official Gazette;

(g) **"Director of Electronic Service Delivery"** means the officer of the Government, notified as the Director of Electronic Service Delivery;

(h) **"e-Service"** means a service as may be specified by the notification in the Government Gazette and delivered electronically to the users;

(i) "**Electronic Service Delivery"** means the delivery of public services in the form of receipt of forms and applications, delivery of any license, permit, certificate, sanction or approval and the receipt or payment of money by electronic means or any other such public service rendered by following the procedure specified under these rules**;**

(j) **"Government"** means the government of the State of Haryana in the administrative department;

(k) **"public service"** means any service provided by the Government either through its competent authority or any of its agencies either directly or through any authorized service provider;

(l) **“service charge”** means the amount as may be specified by the Government to be payable to the authorized service provider for electronic delivery of services rendered and does not include any duly authorized taxes, charges, dues or any other money due in respect of a service payable by any person to the competent authority concerned at the time of making applications that are otherwise payable under any Act, rule, regulation or order in force in the State;

(m) **“Signing Authority"** means an authority empowered under the respective Act, rules, regulations or order Government to issue any license, permit, certificate, sanction or approval;

(n) **“State Electronic Records Repository”** means the electronic repository of all electronically signed records, maintained by Competent Authority, for the purpose of accessing such records and delivering them to the citizens;

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings assigned to them in the Act.

System of Electronic Service Delivery.

3. (1) The Government may on its own or through an agency authorised by it, deliver public services through electronically enabled kiosks or any other electronic service delivery mechanism and for the same shall specify the form and the manner of Electronic Service Delivery.

(2) The Government shall determine the manner of encrypting sensitive electronic records requiring confidentiality, while they are electronically signed.

(3) The Government shall notify the service providers and their agents authorised for Electronic Service Delivery.

(4) The Government may allow receipt of payments made by adopting the Electronic Service Delivery System to be a deemed receipt of payment effected in compliance with the financial code and treasury code .

(5) The Government shall authorise service providers or their authorised agents to collect, retain and appropriate such service charges as may be specified by the Government for the purpose of providing such services from the person availing such services, provided that the apportioned service charges shall be clearly indicated on the receipt to be given to the person availing the services.

(6) The Government shall by notification specify the scale of service charges to be charged and collected by the service providers and their authorised agents for various kinds of services.

(7) The Government shall also determine the norms on service levels to be complied with by the Service Provider and the authorised agents.

Notification of Electronic Service Delivery.

4. (1) The Government shall notify the services that shall be delivered electronically from time to time.

(2) The Government shall identify and notify, from time to time, the list or signing authorities in respect of different classes of licenses, permits, certificates, sanctions, payment receipt approvals and local limits of their Respective jurisdictions. The notification shall specify the nature of certificate, the names of the signing authorities, as approved by the Government, the period of effectiveness of the authority and the extent of their jurisdiction.

(3) The Government shall notify changes to the list of signing authorities from time to time, taking into consideration the terms and conditions of the services of employees holding positions of signing authorities.

Duty of the competent authority.

5. (1) Every competent authority shall notify within a period of **one hundred and eighty (180) days** from the coming in to force of these rules,-

(a) public services of the department, agency or body which may be delivered through electronic mode;

(b) date by which each such service shall be made available through electronic mode;

(c) lay down norms for efficiency, quality and accuracy in the form of service levels; and

(d) designated officers for delivery of each such service through electronic mode;

Note : The mandate of 180 days shall be upper limit on departments regarding the delivery of services in online mode which may be extended only in case, there are cogent reasons.

(2) The competent authority shall thereafter, review and update the publications every year or as frequently as required.

Notification of signing authorities.

6. (1) The competent authority shall notify the list of signing authorities in respect of different public services and local limits of their respective jurisdiction duly specifying the nature of such service, the names of the signing authorities, the duration of the authority and the extent of jurisdiction of each such authority.

(2) The competent authorities shall inform the Director of Electronic service delivery immediately with respect to retirements, transfers, suspensions and terminations from service of employees holding positions of signing authorities.

(3) The signing authorities shall also inform their competent authorities immediately with respect to their retirements, transfers, suspensions and terminations and the competent authorities shall get the changes implemented in their respective application software.

Functions and Power of Director of Electronic Service Delivery.

7. The Director of Electronic Service Delivery shall discharge the following functions and powers, namely:-

(a) to authorize, suspend or terminate the services of the authorized service providers;

(b) to determine norms relating to the selection of authorized agents by the authorized service providers;

(c) to determine functions, responsibilities and liabilities of authorized service providers and authorized agents;

(d) to determine norms on the service levels to be complied with by the authorized service provider and authorized agents;

(e) to determine service charges by the authorized service provider and authorized agents for providing e-services;

(f) to guide the concerned department/ competent authority determining the service charges to be collected by the Authorised service provider regarding fee, taxes, charges, dues, etc so that the uniformity is maintained across all departments;

(g) to determine terms and conditions relating to the authorization, suspension or termination of the service providers and authorized agents; and

(h) to make alternative arrangements for delivery of e-service, in case of such suspension or termination of services of authorized service providers and authorized agents.

(i) to determine manner and method of fee for authorized service provider with the prior approval of government.

Appointment of authorised agents by authorised service provider.

8. (1) The authorized service provider may appoint such number of authorized agents, as may be required to delivers the services electronically to fulfil the norms of efficiency, quality and accuracy laid down by the Competent Authority.

(2) The authorised service agents shall securely login in the service portals for extending the electronic services. These agents be encouraged to use eSign/ Digital Signatures (DSC) in order to deliver electronic services.

(3) The authorized service provider may also impart appropriate training to the authorized agent to impart them the skills required to deliver the electronic services efficiently and in an error-free manner.

Commencement of operations by authorized service provider.

9. The authorized service provider shall commence its commercial operation for Electronic Service Delivery only after;

(a) he has confirmed in writing or through e-mail duly signed by digital signature to the Director of Electronic Service Delivery with respect to the adoption of procedures and standards specifies under these rules; and

(b) he has installed facilities and infrastructure needs for efficient delivery of electronics services and in an error free manner in terms of norms laid down by the Director of Electronic Service Delivery and confirm the same in writing or through e-mail duly signed by digital signature to the Director of Electronic Service Delivery.

Collect of service charge.

10. (1) The application for an e-service submitted by a user to an authorized service provider or an authorized agent shall be accompanied by such service charges as may be determined by the Director of Electronic Service Delivery which shall be payable in cash or any other mode as may be specified in this behalf to the authorized service provider, at the time of making the application.

(2) The Director of Electronic Service Delivery shall determine service charges by notification of e-services.

(3) The service charges may be different for different e-services such as;

(a) status enquiry;

(b) Print-outs related to e-services;

(c) scanning of documents related to e-services;

(d) acknowledgment receipt; and

(e) any other e-service.

(4) The service charges shall not include any duly authorized taxes, charges, dues or any other money due in respect of a service payable by any person to the competent Authority or order of the Government when making an application to the concerned Competent Authority.

Fee.

11. (1) Any fee or duly authorized taxes, charges, dues or any other form of money due in respect of service payable by any person to the competent authority concerned that are otherwise payable under the respective Act, rule, regulation or order of the Government when making an application to the concerned Competent Authority, shall also be collected by the authorized service provider or the authorized agent as the case may be, except for those payment that are ordinarily required to be made in the form of court fee stamps or treasury challans or provided otherwise by any Act, rule or regulation.

(2) The concerned department/ competent authority shall consult the Director, Electronic Service Delivery to determine the service charges to be collected by the Authorised service provider w.r.t. (fee, taxes, charges, dues, etc) in order to maintain uniformity across all departments.

(3) The fee collected by the authorized service provider or the authorized agent shall be remitted with the Government treasury.

Remittance of service charge and fee by service provider.

12. (1) Out of the service charge collected by the authorized service provider or the authorized agent for an e-service a percentage of the service charges, as may be determined from time to time by the Director Electronic Service Delivery shall be apportioned to the Government.

(2) The share of the Government out of the service charge so collected shall be remitted by the authorized service provider or the authorized agent to Government treasury.

Presumption with regard to service charge paid to service provider and other conditions of obtaining e-services.

13. (1) Where any person pays a service charge to an authorized service provider or an authorized agent in respect of any notified e- service the print-out or the electronic prompt acknowledging the payment in the relevant form and manner, as may be determined by the Director of Electronic Service Delivery and provided to such person by the authorized service provider or authorized agent shall normally be taken as proof of such payment and it shall be presumed that in normal circumstances the sues or claims, for which the acknowledgment is purportedly issued, have been satisfied to that extent.

(2) The payment of service charge to the authorized service provider or the authorized agent shall by no means create any right or title, temporary or permanent in nature in favour of a person concerned regarding obtaining the notified e-services.

(3) Mere payment of service charge shall not necessarily ensure the delivery of services, if all conditions associated with delivery of the service are not met fully at the time of making payment to the authorized service provider or the authorize.

Creation of repository of digitally signed electronic records.

14. (1) The competent authorities may, as soon as, after the coming into effect or these rules create, establish and maintain a repository and database of digitally signed electronic records together with the associated application software and workflow to enable authorized service providers or the authorized agents to access such license, permits, certificates, sanctions or approvals, as the case may be, and deliver them to user.

(2) The relevant security procedures, as specified by the Government shall be followed by such competent authorities, in respect of the electronic data, information applications, repository of digitally signed electronic records and information technology assets under their respective control.

Procedure for making changes in a repository of digitally signed electronic records.

15. (1) Any Competent authority or any signing authority, either suo motu, or on an application by an interested party, may make or order to make an appropriate change in a repository of digitally signed electronic records, after following the procedure prescribed in the respective Act, rule, regulation or order.

(2) Any such authority shall have privileges for making or ordering changes only in respect of the electronic records pertaining to its own jurisdiction.

(3) Any change effected to any record in a repository of digitally signed electronic records, and any addition or deletion of a record from such repository electronic records shall invariably be digitally signed by the respective authority and an electronic audit trail of all such changes shall be maintained.

Creation of secure application software for Electronic Service Delivery.

16. (1) The competent authority shall get appropriate application software created, using which the signing authorities, shall digitally sign the license, permit, certificate, sanction or approvals, and get the same audited by a third party agency, so as to ensure its security, reliability, performance and consistency, before it is deployed.

(2) Every such application software shall inter alia possess the capacity to assign a unique identification to each license, permit, certificate, sanction or approval.

(3) Every authorized service provider shall create its own application software in such consultation with the respective Competent Authorities, shall enable such authorized service providers to deliver electronic services in accordance with these rules.

(4) Every such application software created either by the Competent Authority or the authorized service provider shall, inter alia, possess the following features and capabilities namely:

(a) Secure login of authorized agents, as are required to access the application system, through use of Digital signature certificates.

(b) Secure access of authorized agents, to the repositories of digitally signed electronic records maintained by the Competent Authorities, for printing and delivery of the digitally signed license, permit, certificate, sanction or approvals; and

(c) Assign a unique identification to the voucher or receipt issued by any authorized agent while providing electronic services to the citizens.

5. The Director of Electronic Service Delivery shall get such application software audited by a third party agency, as to ensure its security, reliability, performance and consistency, before it is deployed by the authorized service provider and also as and when changes are made in the application software.

Delivery of e-Services.

17. (1) On a request made by a user for provision of a service, relating to the issue of any license, permit, certificate, sanction or approval and to the receipt or payment of money, the authorized service provider or the authorized agent shall access the respective departmental repository of digitally signed electronic records through their secured application specified in rule19, in respect of any license, permit, certificate or approval or the database in respect of any payment or receipt.

(2) The authorized service provider or the authorized agent shall be permitted to have such access only with the use of its digital signature certificate.

(3) The authorized service provider or the authorized agent shall accept the specified fees, tax duty or payment along with the service charge, download the related license, permit, certificate, sanction or approval or the database record relating to any payment or receipt, print the license, permit, certificate, sanction or approval from the repository of digitally signed electronic records, or the payment voucher or receipt from the relevant database and print the document using the secure application software and the secure stationary.

Verification of Digitally signed documents.

18. (1) The competent authorities shall cause to be created a system (portal/website) of online verification of any license, permit, certificate, sanction or approval or receipt delivered by any authorized service provider or the authorized agent or the State Electronic Records Repository.

(2) Any person or authority, desirous of verifying the authenticity if any document or certificate issued under these rules, any access such portal or the website using the unique identification printed on the document sought to be verified.

Audit of the information systems and accounts of the authorized service provider unauthorized agents.

19. (1) The Director of Electronic Service Delivery shall cause an audit to be conducted of the records and accounts of the Authorized Service Providers and their authorized agents in the state at such intervals as deemed necessary by an agency empanelled as an information security auditing organization.

(2) The audit referred to in sub-rule(1) may cover aspects such as security, confidentiality and privacy of the information, functionality and performance of any application, software used in the electronic delivery of services and the accuracy of accounts kept by the authorized Service Providers and their authorized agents.

(3) It shall be incumbent on the authorized Service Provider and their authorized agents to provide such information and assistance to the audit agencies appointed by the Director of Electronic Service Delivery to comply with the directions given by the audit agencies and to rectify the defects and deficiencies pointed out by the audit agencies.

DEVENDER SINGH,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Electronics and Information Technology Department.

56228—C.S.—H.G.P., Chd.